

## निरस्तीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज

समय सीमा 7 दिन

- 1 सभी सदस्यों के ग्रुप फोटो की दो प्रतियां।
- 2 फार्म व फार्म पर लगी फोटो को सत्यापित करवाना।
  - a) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वह आवेदक पत्र कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं।
  - b) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह शहर के किसी राजपत्रित अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति तथा नगर पार्षद,,पंच, सरपंच,लंबरदार आदि से आवेदन पत्र सत्यापित करवाएं।
- 3 मूल निरीस्तीकरण प्रमाण पत्र
- 4 फार्म का मूल्य एक रूपया।
- 5 ए0पी0एल0 राशन कार्ड का मुल्य: दो रू0

सभी आवेदन पत्र निरीक्षक ( खाद्य एवं पूर्ति विभाग ) के द्वारा ई-दिशा सेंटर से एकत्रित किए जायेंगे और फीस विभाग के खाते में जमा कर दी जाएगी